प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>विविध अपील क्र. 159/2006</u>

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 3 :

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोरबा, द्वारा कार्यवाहक मंडल प्रबंधक, बिलासपुर कार्यालय, ताहा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर(छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी क्रमांक 1/आवेदक :

a/ गेंदराम साहू, पिता स्वर्गीय कन्हाईलाल साहू, आयु लगभग 46 वर्ष।

b/ श्रीमती सीता बाई साहू, आयु लगभग 44 वर्ष, पत्नी गेंदराम साहू।

c/ कु. रामप्यारी साहू, आयु लगभग 20 वर्ष, पुत्री गेंदराम साहू।

d/ दीपक कुमार साहू, आयु लगभग 15 वर्ष (अवयस्क), द्वारा पिता गेंदराम साहू।

(सभी निवासी ग्राम घोड़ासार, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.))

प्रत्यर्थी क्रमांक 2/अनावेदक क्रमांक 1:

छन्नू सिंह क्षत्री, पिता जे.एस. क्षत्री, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी एल.आई.जी.-4, राजेंद्र प्रसाद नगर, कोरबा (छ.ग.) (ट्रक मालिक)

प्रत्यर्थी क्रमांक 3/अनावेदक क्रमांक 2:

जगेन्द्र सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता श्रवण सिंह, निवासी पावर हाउस, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.), (ट्रक चालक)

उपस्थिति:

श्री एन.के. अग्रवाल, अपीलार्थी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता।

<u>मौखिक आदेश</u>

<u>(दिनांक 3.4.2006 को पारित)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **मुख्य न्यायाधिपति एस.आर. नायक** द्वारा पारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत इस अपील में, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष दो तर्क रखे हैं:

(i) कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है कि मृतक माल के साथ जा रहा था;

(ii) कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को आश्रितता की हानि की गणना करने के उद्देश्य से मृतक की आय का आधा हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के मद में काटना चाहिए था।

2. अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा आक्षेपित आदेश एवं हमारे समक्ष प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, हमें उपरोक्त तर्कों में कोई सार नहीं मिलता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने साक्ष्य के ठोस अंशों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक चावल की तीन

बोरियों के साथ जा रहा था । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दर्ज उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को विधिक साक्ष्य के अभाव में विकृत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता ।

3. यह सत्य है कि मृतक अविवाहित था, किंतु मृतक के आश्रितों में उसके माता-पिता, भाई और अविवाहित बहन शामिल थे । दूसरे शब्दों में, मृतक अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़ गया है जो पूरी तरह से उसकी आय पर आश्रित था । यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में, अविवाहित पुरुष की मृत्यु के प्रकरण में, आश्रितता की हानि की गणना के लिए व्यक्तिगत खर्चों हेतु आय का आधा हिस्सा काट लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि इस मानक का प्रत्येक प्रकरण में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आश्रित कौन हैं और वे अपनी आजीविका के लिए किस सीमा तक मृतक की आय पर निर्भर थे । दुर्घटना की तिथि पर मृतक का भाई 15 वर्ष का और बहन 20 वर्ष की आयु की थी । इसलिए, वृद्ध माता-पिता को सहारा देने के अलावा, मृतक पर भाई को शिक्षित करने और बहन का विवाह कर उसका घर बसाने की जिम्मेदारी थी । प्रकरण के उस परिप्रेक्ष्य में, हम मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में आय का केवल 1/3 भाग काटने के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिनिर्णय पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते । हमारे समक्ष कोई अन्य तर्क नहीं रखा गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। वादव्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur